

दिनांक : 13.04.2023

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
जनपद- पीलीभीत।

विषय:-जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग-730C, 730B एवं 731K (रदैता-बीसलपुर-पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे० के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-1022/15-1, पीलीभीत दिनांक 23.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र दिनांक 31.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में वांछित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया है।

2. उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या-8, 10 एवं 11 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना निम्न है:-

Sl.No.	Condition	Compliance/Undertaking
8.	No violation of FCA Certificate from concerned DFO shall be provided.	प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10.	Road side plantation shall be carried out at the cost of User Agency by the Forest Department.	उपलब्ध उपयुक्त स्थानों पर सड़क के किनारे वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जायेगा।
11.	The scheme for the same shall be provided by the State Government.	इस सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. अतएव आपसे सादर आग्रह है कि उक्त प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Aman Kumar Trigun
(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपि:-

- मुख्य अभियंता-क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ।
- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, लखनऊ।
- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० बरेली वृत्त, बरेली।
- जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमन कुमार त्रिगुण)

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।